

**वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,**

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10369/3045

दिनांक : 11/03/24

सेवा में

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 0.096 ha. of forest land for construction of 132 KV D/C Line Avaada Green HN Project Private Limited, Poharka to 132 S/stn, Mithi Sureran (Ellenabad), under forest Division & Distt. Sirsa.

Online Proposal No. (Online Proposal No. FP/HR/Trans/148304/2021)

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 9-HRB128/2022-CHA दिनांक 13.10.2023 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी स्टेज-1 स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :-

2 A (i-vi) प्रस्ताव में सी0ए0 स्कीम अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी ने प्रतिपूर्ति पौधारोपण, नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फॉरेस्ट लैण्ड व अन्य चार्जिज सहित कुल 605750/- रुपये की राशि केम्पा के लेखा में जमा करवा दी है। ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस "Paid" होने उपरान्त प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपेक्षित ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।

vii एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

इसके अतिरिक्त स्टेज-1 2B से सम्बन्धित अण्डरटेकिंग की प्रति संलग्न है तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज-1 स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न/उपरोक्त ।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला।

11/03/24

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।

हिसार बाईपास रोड़, सिरसा टेलिफोन न० 01666-243307

Email:- forest_sirsa@yahoo.com&dfo.sir-hry@nic.in

क्रमांक: 3522

दिनांक: 28-02-2024

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),
हरियाणा, पंचकुला।

विषय: Diversion of 0.096 ha. of forest land for construction of 132 KV D/C Line
Avaada Green HN Project Private Limited, Poharka to 132 S/stn, Mithi
Sureran (Ellenabad), under Forest Division & Distt. Sirsa.
(Proposal No.- FP/HR/Trans/148304/2021)

संदर्भ: भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फाईल संख्या
9-HRB128/2022-CHA दिनांक 13.10.2023।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र के सम्बंध में मांगी गई सूचना अनुरूप केस से संबंधित
बिन्दू नं० 2 (A) के भाग I, ii & iii के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करवाई गई राशि के
चालान की प्रति, बिन्दू नं० 2 (A) के भाग VII अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में जिलाधीश सिरसा से
प्राप्त एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र, तथा बिन्दु संख्या-2 B अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोडिड
अण्डरटेकिंग की प्रति आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलग्न/उपरोक्त

4/ 28.02.24
वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।
Aghor

Compliance for Stage-II

Diversion of 0.096 ha. of forest land for construction of 132 KV D/C Line
Avaada Green HN Project Private Limited, Poharka to 132 S/stn, Mithi Sureran
(Ellenabad), under Forest Division & Distt. Sirsa.
(Proposal No.- FP/HR/Trans/148304/2021)

इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति
पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदला
जायेगा।

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।

Agg/02

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-11-2023

Agency Name.	Avanda Green HN Project Private Limited
Application No.	64148304480
MoEF/SG File No.	9-HRB128-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	Poharka to Mithi Surera 132 S/sin Sirsa
Amount(In Rs)	605750/-

Amount in Words Six Lakh Five Thousand Seven Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506964148304480 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jehita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-11-2023

Agency Name.	Avanda Green HN Project Private Limited
Application No.	64148304480
MoEF/SG File No.	9-HRB128-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	Poharka to Mithi Surera 132 S/sin Sirsa
Amount(In Rs)	605750/-

Amount in Words Six Lakh Five Thousand Seven Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506964148304480 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jehita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank . epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

RTGS_UTR_NO:- SBINR52023113086834653

RTGS_DATE - 30 Nov - 2023



SATISH KUMAR, HFS
Divisional Forest Officer
Sirsa Forest Division, Sirsa

A

TRADITIONAL FOREST DWELLERS RECOGNITION OF FOREST RIGHT ACT, 2006.

Title of the Case/Project: Diversion of 0.096 ha of forest land for construction of 132 KV D/C Line Avaada Green HN Project private Limited, Poharka to 132 S/stn, Mithi Sureran (Ellenabad), under Forest Division & Distt. Sirsa.

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" Less than 75 years prior to the 13th Day of December 2005 and having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

Memo No 5057

/MA Dated: 17-11-23

2
CTM,
for District Collector,
Sirsa. (Am)

A copy is forwarded to District Forest Officer, Sirsa w.r.t. his office Memo No. 5625 dated 17.11.2021 for information and further necessary action please.

—s—d—
CTM,
for District Collector,
Sirsa.

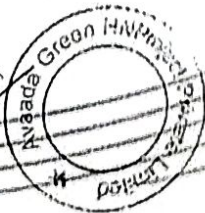
प्रमाण पत्र

Diversion of 0.096 ha of forest land for construction of 132 KV D/C Line Avaada Green HnN Project Private Ltd., Poharka to 32 S/stn, Mithi Surera (Ellenabad), under Forest Division and District Sirsa, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/TRANS/148304/2021)

यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयांकित प्रस्ताव में जारी स्टेज-I की स्वीकृति अनुसार निम्न शर्तों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोज्य एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जाएगा।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस वृद्धि हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी वाध्य होगी और राज्य सरकार वृद्धि हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
- एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
- केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।
- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
- संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनज लगाए जायेंगे।
- प्रयोक्ता एजेंसी सीडक्यूएलडक्यू/एनवीडक्यूएल/एफएसी/आईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।
- यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।





AVAADA GREEN HNPROJECT PRIVATE LIMITED

CIN: U40300DL2018PTC333560

Correspondence Office:

406, Hubtown Solaris,
N. S. Phadke Marg, Andheri (E),
Mumbai - 400069
T: +91-22-6140 8000

Registered Office:

910/19, Suryakiran,
Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi - 110 001
T: +91-120-6757000

E: avaadagreenHN@avaada.com
www.avaadaenergy.com

- xvii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xviii. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समपति होगी।
- xix. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xx. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
- xxi. इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.121 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।



4/3

SATISH KUMAR, HFS
Divisional Forest Officer
Sirsa Forest Division, Sirsa

A